प्रकरण संख्या–16 / 2018 GCMS ID – 2018/00050 तारीख रजु–21.03.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(3)

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा–सपोटरा जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी – प्रार्थी

बनाम

1. रामहेत पुत्र खेमा जाति बैरवा निवासी चौड़कलां, तहसील सपोटरा जिला करौली (फौत)
   1/1 देवीलाल
   1/2 नैनजी
   1/3 बत्तीलाल
   1/4 बृजमोहन
   1/5 हल्के
   } पिसरान रामहेत जाति बैरवा निवासी चौड़कलां, तहसील सपोटरा
   1/6 गीता पुत्री रामहेत पत्नि रामसहाय जाति बैरवा निवासी नैनिया की गुवाड़ी, तहसील सपोटरा जिला करौली
2. दौल्या पुत्र खेमा
3. सूक्या पुत्र खेमा (नाऔलाद फौत)
   जातियान बैरवा निवासीयान चौड़कला, तहसील सपोटरा जिला करौली

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत्

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थीगण की सम्पति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं और ना ही अपना पक्ष रखा गया है।

तत्पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

6

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण रामहेत, दौल्या, सूका पि. खेमा जाति बैरवा निवासी चौड़कला, तहसील सपोटरा जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं कराने पर अप्रार्थीगण की ओर दिनांक 31.03.2004 को बकाया असल 54222/–रूपये, ब्याज 51193/–रूपये, द0ब्याज 813/–रूपये सहित कुल राशि 106228/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 244000/–रूपये, ब्याज 254057/–रूपये द0ब्याज 57743/–रूपये, वसूली व्यय 3780/–रूपये, नीलामी व्यय 27979/–सहित कुल राशि 587559/–रूपये की अदायगी अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 145 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 146 रकबा 02 विस्वा, ख.नं. 147 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 148 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 149 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 150 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 199 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 244 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 245 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 246 रकबा 15 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 325/11 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 160 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 161 रकबा 10 विस्वा, ख. नं. 162 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 163 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 164 रकबा 07 विस्वा किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 701/5 रकबा 4 बीघा पूर्ण भाग, खसरा नं. 701/2 रकबा 3 बीघा पूर्ण भाग, ख.नं. 176/2 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम चौड़ का कलां तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 04.04.2013, 28.06.14 एवं 23.01.2016 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थीगण की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–सपोटरा के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने निवेदन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थीगण द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सपोटरा की दिनांक 31.03.2004 तक बकाया ऋण राशि असल 54222/–रूपये, ब्याज 51193/–रूपये, द0ब्याज 813/–रूपये सहित कुल राशि 106228/–रूपये एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थीगण के खाते में कुल बकाया असल 244000/–रूपये, ब्याज 254057/–रूपये द0ब्याज 57743/–रूपये, वसूली व्यय 3780/–रूपये, नीलामी व्यय 27979/–सहित कुल राशि 587559/–रूपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 145 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 146 रकबा 02 विस्वा, ख.नं. 147 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 148 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 149 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 150 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 199 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 244 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 245 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 246 रकबा 15 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा हिस्सा

जिला कलक्टर
करौली

पूर्ण भाग, ख.नं. 325/11 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 160 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 161 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 162 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 163 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 164 रकबा 07 विस्वा किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 701/5 रकबा 4 बीघा पूर्ण भाग, खसरा नं. 701/2 रकबा 3 बीघा पूर्ण भाग, ख.नं. 176/2 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम चौड़ का कलां तहसील सपोटरा जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थीगण की बैंक में बंदकित सम्पति तत्कालीन आराजी खसरा नं. 145 रकबा 03 विस्वा, ख.नं. 146 रकबा 02 विस्वा, ख.नं. 147 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 148 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 149 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 150 रकबा 18 विस्वा, ख.नं. 199 रकबा 12 विस्वा, ख.नं. 244 रकबा 10 विस्वा, ख. नं. 245 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 246 रकबा 15 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 9 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 325/11 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 160 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 161 रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 162 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 163 रकबा 11 विस्वा, ख.नं. 164 रकबा 07 विस्वा किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 10 विस्वा हिस्सा पूर्ण भाग, ख.नं. 701/5 रकबा 4 बीघा पूर्ण भाग, खसरा नं. 701/2 रकबा 3 बीघा पूर्ण भाग, ख. नं. 176/2 रकबा 5 बीघा हिस्सा पूर्ण भाग बाके ग्राम चौड़ का कलां तहसील सपोटरा जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा सपोटरा के पक्ष में अंतरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सपोटरा को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली